न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारीअधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0– 61/2022–23

–:आदेश:–

17/01/23 अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, तोपचॉची से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, तोपचॉची के पत्रांक–28, दिनांक– 06.01.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक राजेन्द्र राम, पिता– महेन्द्र राम, साकिम– फुलवार, थाना– कतरासगढ, जिला– धनबाद अपनी जमीन मौजा– मोहलीडीह, मौजा नं0– 148, खाता नं0– 25, प्लॉट नं0– 419, रकवा– 15 डिसमील भूमि क्रेता एतवारी रवानी, पिता– मोहन रवानी, साकिम– बसेरिया बस्ती, थाना– केन्दुआडीह, जिला– धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही जाति के कहार है तथा क्रेता थाना– केन्दुआडीह एवं विक्रेता थाना– कतरास, जिला– धनबाद के निवासी है। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 1.57 एकड़ भूमि शेष बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

17/01/23

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

17/01/23

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

Digitally signed by SATISH CHANDRA
Date: 2023.09.02 11:49:11 +05:30
Location: 192.168.29.168

Scanned by CamScanner